कार्यालय- मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।

मॉडल हाउस, मल्लीताल, नैनीताल।
ईमेल- ad.kumayunmandal@gmail.com

रा0प्रा0शि0 से स0अ0एल0टी0–स्नातक वेतनक्रम में 30 प्रतिशत रिक्त पदों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में आमंत्रित शिक्षकों हेतु महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश :–

01. रा0प्रा0शि0 से स0अ0एल0टी0–स्नातक वेतनक्रम में 30 प्रतिशत रिक्त पदों के सापेक्ष पदोन्नतियां उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली–2014 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) (संशोधन) सेवा नियमावली–2019 के नियम–16 में निहित प्राविधानानुसार की जायेंगी।
02. प्रथम चरण की पदोन्नतियां किये जाने के उपरान्त अवशेष पदों के सापेक्ष शिक्षकों को द्वितीय चरण के अभिलेख सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जा रहा है, किन्तु पदोन्नतियां रिक्त पदों के सापेक्ष तथा अर्हता के अनुरूप ही की जायेंगी। उक्त अभिलेख सत्यापन में प्रतिभागिता किसी भी शिक्षक के पदोन्नति हेतु अर्हता के दावे का आधार नहीं माना जायेगा।
03. पदोन्नति हेतु विकल्प आवंटन वरीष्ठताक्रमानुसार, उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के पैरा–18 के अन्तर्गत किया जायेगा।
04. अभिलेख सत्यापन हेतु आमंत्रित समस्त शिक्षक/शिक्षिकाओं को नियत तिथि को अपने साथ निम्नानुसार सेवा संबंधी एवं शैक्षिक अभिलेखों की मूल प्रतियां तथा 02 छायाप्रतियां लानी आवश्यक है, जो निम्नवत् क्रम में हो–
    - पदोन्नति आवेदन पत्र।
    - प्रथम नियुक्ति आदेश व कार्यभार ग्रहण आदेश।
    - यदि नियुक्ति नियत वेतनमान में हुई हो तो ऐसी स्थिति में प्रशिक्षित वेतनमान में नियुक्ति आदेश व कार्यभार ग्रहण आदेश।
    - पदोन्नति आदेश व कार्यभार ग्रहण आदेश (यदि पदोन्नति हुई हो)।
    - टीचर्स प्रोफाईल (एजुकेशन पोर्टल से निर्गत) की प्रमाणित प्रति।
    - इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।
    - स्नातक उत्तीर्ण अंक पत्र (समस्त वर्षों के पृथक–पृथक) एवं प्रमाण पत्र।
    - बी0एड0 अंकतालिका एवं उत्तीर्ण प्रमाण पत्र।
    - दिव्यांगता प्रमाण पत्र (दिव्यांग श्रेणी में चयनित शिक्षकों हेतु)।
05. अभिलेख सत्यापन हेतु आमंत्रित समस्त शिक्षकों को On Duty समझा जाएगा किन्तु इस हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
06. विभागीय वैबसाईट पर अपलोड की गयी अभिलेख सत्यापन हेतु आमंत्रित शिक्षकों की सूची को अंतिम सूची न समझा जाए, रिक्त पदों की उपलब्धता पर प्रतीक्षा सूची अपलोड की जा सकती है।
07. यदि वैबसाईट में अपलोड की गयी सूची में किसी भी शिक्षक का नाम छूट गया हो तो ऐसे शिक्षक दिनांक 29.11.2023 तक अपना प्रत्यावेदन मय साक्ष्य सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, उक्त तिथि के उपरान्त किसी भी शिक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
08. वैबसाईट पर अपलोड की गयी सूची में टंकित विवरण, शिक्षकों द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित किये गये आवेदन पत्रों के आधार पर तैयार किया गया है, अतः यह सम्भव है कि, कतिपय शिक्षकों का स्थानान्तरण हो जाने के फलस्वरूप विद्यालय परिवर्तित हो गया हो।

(लीलाधर व्यास) 24/11/23
मण्डलीय अपर निदेशक
(माध्यमिक शिक्षा)
कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।